फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम केसर देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 162/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	एवं संशोधित उनवान दिनांक 19/7/24 को पेश हो। [signature]	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने संशोधित उनवान पेश किया जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा राजीनामा एवं तहसीलदार तुंगा की तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 25/07/24 को पेश हो। [signature]	
25/07/24	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता को वादपत्र पर पूर्व में सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता को राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट पर की गई बहस पर मनन करने एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि वादीगण [signature]	

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम केसर देवी

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 162/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		द्वारा खसरा न. 238 रकबा 0.3100 है. एवं खसरा न. 710 रकबा 0.7200 है., खसरा न. 758 रकबा 0.0300 है., खसरा न. 761 रकबा 0.3000 है., खसरा न. 762 रकबा 0.4200 है., खसरा न. 763 रकबा 0.1700 है., खसरा न. 765 रकबा 0.0400 है., खसरा न. 767 रकबा 0.0400 है., खसरा न. 770 रकबा 0.2300 है. स्थित ग्राम दनाऊकलां भू.अ.नि. देवगांव तह. बस्सी हाल तहसील तूंगा जिला जयपुर के संबंध मे पैतृक भूमि के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है एवं वादी एवं प्रति- वादीगण के मध्य राजीनामा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके संबंध में तहसीलदार तूंगा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई चूंकि वादी ने मृतक नारायण पुत्र मूल्या के नाऔलाद फोत होने से घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है एवं तहसीलदार रिपोर्ट से यह प्रमाणित है कि नारायण पुत्र मूल्या नाऔलाद फोत हुआ है इसलिए राजीनामा एवं तहसीलदार रिपोर्ट के मध्यनजर वादी का वाद डिक्री किया जाता है [signature]

फर्द अहकाम

नाथूलाल बनाम केसर देवी

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 162/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	तहसीलदार तूंगा को निर्देशित किया जाता है कि नारायण पुत्र मूल्या के वारिसों की विधिवत जांच कर उसके वारिसों के नाम नामान्तकरण दर्जकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने की कार्यवाही करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 23/07/24 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (हस्ताक्षर)	